पत्र सं0-चे0पो0-25क-चीनी प्रवेश कर अपवंचन /2008/ 0809103 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 12 फरवरी, 2009

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

Key word 1-47-IMPORT / Verification Forms/ Penalty

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि प्रदेश में जॉच चौकियों की संख्या कम कर दिये जाने के कारण वर्तमान में कुछ चीनी मिलों द्वारा चीनी की अंतर प्रान्तीय बिक्री दिखाकर, प्रान्त अंदर खासकर सीमावर्ती स्थलों में माल उतार कर प्रवेश कर की चोरी की जा रही है । चीनी मिलों द्वारा प्रान्त बाहर के फर्जी क्रेताओं के नाम से बिल बनाये जाते हैं किन्तु माल प्रदेश की सीमा एवं मिल स्थल के बीच कही पर भी उतार दिया जाता है । प्रक्रिया यह अपनाई जाती है कि प्रान्त बाहर के फर्जी व्यापारी के नाम बिल बनाकर चीनी मिल द्वारा चीनी डिस्पैच कर दिया जाता है, परन्तु चीनी मिल के गेट के बाहर माल आ जाने के बाद रास्ते में किसी फर्जी ट्रेडर्स का बिल लगा दिया जाता है जिसमें क्रेता व्यापारी के रुप में प्रान्त के उस व्यापारी का नाम अंकित होता है जहॉ अंततोगत्वा माल जाना होता है ।

उपर्युक्तानुसार चीनी पर हो रहे प्रवेश कर के करापवंचन को रोकने के लिए आवश्यक है कि सचल दल इकाईयों द्वारा चीनी के अनलोड़ हो रहे वाहनों की अधिकाधिक जॉच की जायें । ऐसी जॉच के समय यदि चीनी मिल का अन्तर प्रान्तीय बिक्री का बिल पाया जाये तो माल का अभिग्रहण करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये । यदि प्रदेश के किसी ट्रेडिंग फर्म का बिल पाया जाये तो बिल की प्रति लेकर वाहन में उपलब्ध चीनी के निर्माता का नाम, निर्माण का माह/ वर्ष बिल के पृष्ठ भाग पर अंकित कर ड्राईवर के हस्ताक्षर करा लिये जाये तथा ऐसे बिलों को जिस क्षेत्र की निर्माता चीनी मिल हो उस क्षेत्र की वि0अनु0शा0 इकाई को सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाये जो तत्काल संबंधित चीनी मिल के लेखा-पुस्तकों से यह सत्यापित करेंगे कि संबंधित ट्रक से चीनी मिल द्वारा बिल में अंकित दिनॉक के आस-पास चीनी डिस्पैच की गयी है अथवा नहीं । यदि ट्रेडर के बिल में अंकित दिनॉक या उसके 1-2 दिन पूर्व उसी ट्रक से चीनी मिल द्वारा चीनी डिस्पैच की गयी है तो निश्चित रुप से संव्यवहार में प्रवेश कर का करापवंचन निहित है ।

अत: सचल दल इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिकाधिक चीनी के वाहनों की जॉच करें एवं उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अधिक से अधिक बिलों को संग्रहीत कर वि0अनु0शा0 इकाईयों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रवेश कर के करापवचन पर अंकुश लगाया जा सके ।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
6. चेकपोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

(वी0पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।